YOGESH SHEKSHI PUNARWAS AWAM

SHODH SANSTHAN – SIROHI

सोलहवें वर्ष का कार्य विवरण

(दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020)

योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान – सिरोही

प्रधान कार्यालय

ग्राम पो. सिरोही तह0 निवाई

जिला टोंक राजस्थान 304025

शाखा कार्यालय

ब्लॉक – 3, इन्द्रा कॉलोनी विस्तार, निवाई

जिला टोंक राजस्थान 304021

Email – yogesh_niwai90@rediffmail.com Mob. 9829316028,9680258353

योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान – सिरोही

1. **प्रस्तावना** :– दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं, यह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के परिवार में हो सकती है। यह न ही कोई बीमारी है जो एक दूसरे के साथ रहने से बढती है। साथ रहने से बढता है तो आपसी प्यार ,भाई – चारा और कम होती है तो एक दूसरे की समस्याऐं। अतः आज के समय में इन दिव्यांग बालकों को साधन सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध करवाकर उनके सर्वांगीण विकास में योगदान करने की आवश्यकता है जिससे वह आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। यह दायित्व सरकार के साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति का बनता है। इन दिव्यांग बालकों की सेवा से बढकर कोई पुण्य कार्य भी नहीं है। कहा गया है कि जिसमें राग,द्वेष,छल,कपट कुछ नहीं है वह साक्षात भगवान होता है और इन दिव्यांग बालको में भी यह सब नहीं है तो हमें तो इन साक्षात भगवान की प्रतिमूर्तियों की सेवा का मौका मिला है जो भाग्यशाली को ही मिलता है।
   ऐसे ही जन कल्याणकारी कार्यों की कड़ी में " योगेश शैक्षिक पुनवास एवं शोध संस्थान – सिरोही " ने दिव्यांगजन कल्याण का बीड़ा उठाया है।

2. **संस्था परिचय** – योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान – सिरोही जो कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए समर्पित एक स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना 04 सितम्बर 2004 को ग्राम पंचायत सिरोही तह. निवाई में की गई थी। संस्थान की कार्यकारिणी में अधिकतम सदस्य दिव्यांग बालकों के अभिभावक तथा उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्ति है।

3. **संस्थान पंजीयन** – संस्थान का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत क्रमांक 27/टोंक/2005–06 पर पंजीयन है तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर,अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 52 (2) के अंतर्गत क्रमांक 185/जयपुर/2006–07 पर पंजीयन है।
   संस्थान का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 A (a) के अंतर्गत क्रमांक 184/30/कोटा/2006–07 पर पंजीयन है तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 (जी) की मान्यता प्राप्त है।

4. **संस्थान का उद्देश्य** – संस्थान का मुख्य उद्देश्य विकलांगता के प्रति समाज में जागरूकता लाना, परामर्श देना,विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित करना एवं विशेष शिक्षा, फिजियोथैरेपी, स्पीच थैरेपी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा दिव्यांग बालकों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। साथ ही "निःशक्तता अधिनियम 1995" (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016) एवं "राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999" के तहत उन्हें सामाजिक आर्थिक लाभ दिलाना तथा विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार कर दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना है।

5. **संस्थान भवन** – संस्थान के मुख्यालय हेतु सचिव श्री सीताराम स्वामी ने स्वयं का भवन संस्थान को चलाने के लिए सौपा है जिसका रख रखाव का खर्च संस्थान ही वहन करता है। इसका किसी प्रकार किराया देय नहीं है।

संस्थान द्वारा इन्द्रा कॉलोनी विस्तार निवाई में विद्यालय भवन का निर्माण विस्तार जन सहयोग एवं विधायक कोष से करवाया जा रहा है जो शीघ्र ही पूर्ण होकर बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी होगा।

6. **आलोच्य वर्ष का कार्य प्रगति** – संस्थान द्वारा आलोच्य वर्ष में विभिन्न ग्राम पंचायतों मे एक दिवसीय दिव्यांग चेतना शिविरों का आयोजन कर लगभग 182 दिव्यांग बालकों को चिन्हित किया गया। संस्थान द्वारा श्रव्य–दृश्य संसाधनों का प्रयोग कर ग्रातीण क्षेत्र में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, साथ ही संस्थान ,द्वारा निवाई शहर में योगेश विशेष विद्यालय (नेत्रहीन,बधिर एवं मंदबुद्धि बालकों हेतु) का संचालन कर आलोच्य वर्ष में 16 बालकों को विशेष शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया साथ ही 64 बालकों को गृह आधारित योजना से लाभन्वित किया गया तथा परामर्श केन्द्र के रूप में कार्य कर आस्था योजना, रियायती रेल पास, बस पास दिव्यांग पेंशन एवं उपकरण आदि दिलवाकर लाभान्वित करवाकर संस्थान ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयास कर सफलता हासिल की हैं।

7. **आयोजित उत्सव समारोह** – आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय त्यौंहारों में 15 अगस्त, 26 जनवरी,विश्व मिर्गी दिवस, विश्व विकलांगता दिवस, विश्व मंदबुद्धि दिवस, लूई ब्रेल दिवस एवं विश्व बधिर दिवस, समाज कल्याण सप्ताह का समापन समारोह आदि संगोष्ठि एवं समारोहपूर्वक मनाए गए, साथ ही जिला प्रशासन तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोंक द्वारा गांधी सप्ताह एवं अम्बेडकर समरसता सप्ताह भी विभाग के साथ मिलकर संस्थान में समारोहपूर्वक मनाया गया।

<u>दिव्यांग बालक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम मे प्रस्तुति</u>

मंदबुद्धि बालिका द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम मे प्रस्तुति

दिव्यांग बालक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम मे प्रस्तुति

मंदबुद्धि बालको द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम मे प्रस्तुति

अन्य बालिकाओ द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम मे प्रस्तुति

8. **आलोच्य वर्ष का आय–व्यय विवरण** – संस्थान पर अधिकांश खर्च होने वाले व्यय की पूर्ति राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त दान व चन्दों के रूप में धन राशि एकत्रित कर की गई। इस दान व चन्दों से एकत्रित राशि में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 G की संस्थान को मान्यता प्राप्त होना महत्वपूर्ण रहा। आलोच्य वर्ष में संस्थान का आय व्यय विवरण निम्न प्रकार रहा।

9. **विशेष** – संस्थान द्वारा दिव्यांग कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग टोंक की अभिशंषा पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक ने संस्थान को निःशक्तजन अधिनियम 1995 व राष्ट्रीय न्यास 1999 के तहत लोकल लेवल कमेटी की जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति का पंजीकृत संस्था सदस्य 2011 से बनाया गया है जिससे संस्थान के कार्यों की गति तीव्र हुई है और संस्थान अपने उद्देश्यों के अनुरूप अधिक से अधिक योजना का/पचार प्रसार करते हुए निःशक्त जन कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रही है।

<u>विश्व दिव्यांग दिवस पर विकास अधिकारी द्वारा रैली को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।</u>

बालको द्वारा पेपरमेशी कोलाज बनाना सिखाया गया व उनके द्वारा बनवाए गए।

बालको द्वारा पेपरमेशी कोलाज बनाना सिखाया गया व उनके द्वारा बनवाए गए।

भिन्न भिन्न कक्षाओ मे अध्यापको द्वारा बच्चो को पढाते हुए व अवलोकन करते हुए।

10. **संस्थान द्वारा संचालित विद्यालय** :–

10.1 :– नेत्रहीन, मूक बधिर एवं मंदबुद्धि श्रेणी के दिव्यांग बालको के संचालित इा विद्यालय की स्थापना 25 जून 2005 को निवाई नगर में योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान सिरोही तह.निवाई द्वारा की गई। संस्थान द्वारा इस विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निम्न व गरीब दिव्यांग बालकों को निःशुल्क सेवाऐं प्रदान करना ताकि उनका सर्वांगीण विकास कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है।

संस्थान तथा विशेष विद्यालय दोनों के मुख्य प्रमोटर श्री राधेश्याम स्वामी जो स्वयं एक मानसिक विकलांग बालक के पिता है, रहे है।

विद्यालय के प्राचार्य पद का दायित्व श्री रकेश स्वामी जो बी.ए. बी.एड. (एम.आर.) के साथ ही स्पेशल ओलम्पिक भारत के कोच भी है। सम्प्रति यह है कि विद्यालय में डे केयर के साथ आंशिक आवासीय विद्यालय है जिसमें दूर–दराज के बालकों को निःशुल्क आवास सुविधा मुहैया करवायी जाती हैं

विशेष विद्यालय का वर्ष 2019–20 का प्रगति विवरण नीचे अलग–अलग शीर्षकों में प्रस्तुत है।

10.2 :– वर्ष 2019–20 विद्यालय का सोलहवें वर्ष जिसमें कुल 16 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। प्रविष्ठ बालक/बालिकाओं का दिव्यांगतानुसार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	छात्र	छात्रा	योग	दिव्यांगता
1.	41	01	42	मानसिक विमंदित,
2	6	0	6	स्वपरायणता
3	11	0	11	प्रमस्तिष्कीय पक्षाधात
4	8	0	8	बहुविकलांगता
5	61	09	70	श्रवणबाधित
6	53	08	61	दृष्टिबाधित
योग	180	18	198	

10.3 मूल्यांकन :– सभी बालक/बालिकाओं का विद्यालय में वर्ष में बार–बार मूल्यांकन किया गया। विद्यालय द्वारा मूल्यांकन का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा गया।

क्र. सं.	मूल्यांकन	मूल्यांकन तिथि
1.	आधारभूत मूल्यांकन	01–07–2019 से 10–07–2019 तक
2.	प्रथम	05–09–2019 से 15–09–2019 तक
3.	द्वितीय	07–01–2020 से 16–01–2020 तक
4.	तृतीय	02–04–2020 से 12–04–2020 तक

10.4 **विद्यालय स्टाफ** :– विद्यालय में वैतनिक/अवैतनिक अथवा मानदेय लेकर कार्य कर रहे स्टाफ सदस्यों की संख्या 21 है जो शिक्षा या अन्य प्रकार से प्रशिक्षित है। अप्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या 2 थी।

10.5 **विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली अन्य सुविधाऐं** :– विद्यालय इस बात के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है कि इसमें पढने वाले विद्यार्थियों को सरकारी अथवा अन्य संस्थानों से मिल सकने वाली सुविधाओं का पूरा–पूरा लाभ मिले। आलोच्य वष्र में निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण के साथ ही निःशुल्क बस पास, रियायती रेल पास, विकलांग पेंशन,चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि सुविधाओं का लाभ सम्बन्धित विभागों के सहयोग से उपलब्ध करवाया गया।

10.6 **योगा** :– योगा विद्यालय द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण का महत्त्वपूर्ण अंग है। विद्यालय में प्रतिदिन इस कार्य के लिए आधे घण्टे का समय निश्चित किया हुआ है। इसका अभ्यास विद्यालय के प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों द्वारा करवाया जाता है।

10.7 **खेलकूद** :– विद्यालय द्वारा हर वर्ष कि भाति अम्बेडकर समरसता सप्ताह के तहत 18 अप्रैल 2019 व "गांधी सप्ताह" के तहत 07 अक्टूबर 2019 को निःशक्तजन कल्याण दिवस आन्तरिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया व विजेता छात्र/छात्राओं को पारितोषिक/पदान किये गये।

10.8 **राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी** :– आलोच्य वर्ष में **स्पेशल ओलम्पिक वर्ल्ड गेम आबु–धाबी में विद्यालय के छात्र अनिल शर्मा, व स्पेशल ऑलम्पिक नेशनल कोच श्री सीताराम स्वामी ने** देश व राज्य का प्रतिनिधित्व किया। स्पेशल ऑलम्पिक भारत, राजस्थान द्वारा जोधपुर राजस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय स्पेशल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें इस विद्यालय के 10 छात्रों ने भाग लेकर अपनी भागीदारी निभाई।

10.9 **भौतिक चिकित्सा (Physio Therapy)** :– मानसिक मंद बच्चों में बैठने, चलने जैसी गामक कुशलताओं का विकास सामान्य बच्चों की अपेक्षा धीमा होता है उनमें 10–15 प्रतिशत बच्चों में Cerebral palsy (प्रमस्तिष्क पक्षाघात) व अन्य प्रकार की शारीरिक विसंगतियाँ पायी जाती है। विद्यालय में अप्रवेशित मानसिक विकलांग Cerebral Palsy एवं अन्य शारीरिक विसंगतियों वाले 35–40 बालकों को नियमित निःशुल्क फिजियोथैरेपी दी जाती है। इसके लिए मूल्यांकन कर विद्यालय में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा फिजियोथैरेपी की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में इस कार्य के लिए निम्न उपकरण उपलब्ध है।

1.	Ankle Exerciser	6.	Grip Exerciser	11.	Infra Red Lamp
2.	Heel Exerciser	7.	Ankle Adduction-Abduction Exerciser	12.	Wrist Drop Splint.
3.	Rowing Machine Cum Sliding Seat.	8.	Dressing Frame Set -4	13.	Shoulder Ladder
4.	Shoulder Abduction Exerciser Ladder.	9.	Shoulder Wheel Exerciser.	14.	Curbs and ramp with training stairs
5.	Shoulder Pulley Set.	10.	New Cycle Exerciser Vise (Paddler)		

10.10 **वाक् एवं भाषा चिकित्सा (Speech-Therapy)** :– मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित 80 प्रतिशत बालकों में वाणी तथा भाषा की समस्या होती है साथ ही बधिर बालकों में सुनने की असमर्थता के कारण वाणी दोष पाया जाता है। इन बालकों में वाक् चिकित्सा (Speech-Therapy) द्वारा सम्प्रेषण कुशलताओं का विकास कर उन्हें पुनर्वासित करने का प्रयास किया जा रहा है।

10.11 **विद्यालय का आय व्यय** :– विद्यालय पर होने वाले अधिकांश व्यय की पूर्ति इसकी संचालन संस्थान "योगेश शैक्षिक पुनर्वास एवं शोध संस्थान " द्वारा विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा गैर आवासीय विद्यालय हेतु प्राप्त दान व चन्दों के रूप में धन राशि एकत्रित कर की जाती है। विद्यालय के द्वारा दी जाने वाली सेवाऐं पूर्ण रूपेण निःशुल्क है।

10.12 **विशेष उपलब्धि** :– विद्यालय के 05 बालकों द्वारा राज्य स्तरीय स्पेशल ऑलम्पिक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 3 स्वर्ण पदक,3 रजत पदक,2 कांस्य पदक, प्राप्त करने पर गणतंत्र दिवस को मुख्य समारोह में उपखण्ड अधिकरी द्वारा सम्मानित किया गया तथा नगरपालिका निवाई द्वारा इन विशेष बालकों को सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर विद्यालय एवं इन बालकों का उत्साह वध।न किय गया।

विद्यालय के पूर्व छात्र अनिल शर्मा ने स्पेशल ऑलम्पिक द्वारा आयोजित वर्ल्ड गेम 2019 (आबु धाबी) में भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन किया।

11. **संस्थान द्वारा विशेष आभार** :– संस्थान ने इस वर्ष जो कुछ प्रगति की है उसका श्रेय उसके सहयोगियों को जाता है। इसमें जो समय–समय पर संस्था को धन राशि अथवा उपकरणों के रूप में तथा मार्गदर्शन कर अमूलय योगदान कर रहे हैं।
संस्था परिवार से जुड़े उन महानुभावों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करना संस्थान अपना कर्त्तव्य समझती है जो कि न केवल इसकी प्रवृत्तियों में गहरी रूचि लेते है और समय–समय पर इसकों आर्थिक सहायता भी प्रदान करते रहते है अपने अभिभावकों के प्रति भी संस्था बड़ी आभारी है जो न केवल प्रतिमाह आयोजित होने वाली अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठकों में भाग लेते है व सारगर्भित चर्चा करते है, बल्कि अपने अमूल्य सुझावों से हमें लाभान्वित करते रहते है।

12. आगामी वर्ष (2020–21) :– की योजनाओं के कुछ बिन्दु निम्न प्रकार है :–
(1.) विद्यालय भवन निर्माण पूर्ण करना।
(2.) वयस्क दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।
(3.) जिला सतर की अभिभावकों के प्रशिक्षण की दो कार्यशालाऐं आयोजित करना।
(4.) छात्र अनुपात में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना।
(5.) मंदबुद्धि व श्रवणबाधित बालकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना।